

उत्तर प्रदेश
सॉलिड वेस्ट
मैनेजमेन्ट
हैन्डलिंग एण्ड सेनिटेशन
रूल्स-2020

U.P. Solid waste (management, handling & sanitation)

Rules 2020.

अनुरूची-एक

अपशिष्ट का वर्गीकरण

Under solid waste management Rule 2016.

अपशिष्टों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जायेगा-

- (1) "राख" में काष्ठ, कोयला, काष्ठ कोयला, कोक और गृहों तथा संस्थाओं में खाना पकाने तथा गर्म करने हेतु प्रयुक्त अन्य ज्वलनशील सामग्रियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट सम्मिलित होते हैं। इसमें बारीक पाउडरनुमा अवशिष्ट, अंगार और खंगर भी सम्मिलित होते हैं, जो पायः धातु और कांच के छोटे-छोटे टुकड़ों से मिश्रित होते हैं।
- (2) "जैव-नाशित अपशिष्ट/आर्द्र अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसी किन्हीं कार्बनिक सामग्रियों के अपशिष्ट रहे हैं जो किसी युक्ति-युक्त समयावधि के भीतर सूक्ष्म-जीवों द्वारा सरलतर रथायी यौगिकों में नाशित किये जा सकते हैं और जिनमें ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे यथा-वाय पत्तियां अण्डों के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके, पका हुआ खाद्य पदार्थ थाली अपशिष्ट, मांस और अरिथियां, उद्यान और पत्तियों का कूड़ा-कचरा फूल, पशु-मल, दूषित कागज, घर की सफाई के बाद धूल, नारियल के छिलके, राख आदि।
- (3) "जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट" में ऐसा कोई अपशिष्ट सम्मिलित होगा, जो मानव या पशु रोग-निदान, उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या तत्सम्बन्धी क्रिया-कलापों के क्षेत्र में या जैव नाशित सामग्रियों के निर्माण या परीक्षण में या स्तारथ्य शिविरों में और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में या जैसा कि तत्सम्बन्धी किसी संशोधन में अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट रूप में परिभाषित हो, उत्सर्जित हों।
- (4) "उद्यान और उद्यानकृषि थोक अपशिष्ट" में सार्वजनिक या निजी पार्कों, उद्यानों, यातायात स्थलों, बंगलों थोक उत्सर्जकों यथा आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, समितियों या उद्यान या वृक्ष युक्त परिसर वाले संस्थाओं के थोक जैव नाशित अपशिष्ट सम्मिलित हैं और जिसमें घास कतरन, खरपतवार, काष्ठकत, ब्राउन, कार्बन युक्त सामग्रियों यथा छंटाई, शाखायें टहनियां, काष्ठ कतरन, पुआल या सूखी पत्तियां और वृक्ष की कतरनें, जिन्हें दैनिक जैव-नाशित अपशिष्ट द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में समाहित नहीं किया जा सकता है सम्मिलित है।
- (5) "थोक अपशिष्ट" में वाणिज्यिक/आवासीय अपशिष्ट सम्मिलित हैं जो अपनी मात्रा, रूपरेखा, आकार या परिमाण के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण की राय में, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये दैनिक द्वार द्वार संग्रहण प्रणाली में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं हैं। अर्थात्, फर्नीचर, टी0वी0 तथा फ्रीज आदि।
- (6) "ज्वलनशील अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव अनाशित, गैर पुनर्चक्रिय गैर पुनः उपयोग्य, गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट से है, जिसका कैलोरिक मान न्यूनतम 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से अधिक हो जिसमें क्लोरिनेटेड सामग्रियां यथा प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि सम्मिलित न हो।
- (7) "वाणिज्यिक अपशिष्ट" में कार्यालयों, थोक और फुटकर स्टोर्स, भोजनालयों, बाजारों, भण्डारों और किन्हीं वाणिज्यिक क्रिया-कलापों में संलग्न अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठानों से उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित हैं। इन अपशिष्टों में कूड़ा-कचरा और कूड़ा-करकट सम्मिलित है।
- (8) "वाणिज्यिक या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट" में परिसंकटमय रसायनों से संदूषित अपशिष्ट और घरेलू तथा वैयक्तिक स्तर पर उत्सर्जित संक्रामक अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे:-
 - (क) घरेलू मार्जक
 - अपवर्षक चूर्ण
 - अमोनिया और अमोनिया-आधारित मार्जक
 - क्लोरीन ब्लीच
 - नाली खोलने वाले पदार्थ
 - (ख) मोटरवाहन से संबंधित उत्पाद:-
 - ब्रेक और ट्रांसमिशन पलूड्स
 - कार की बैटरियां
 - ईंधन-जैसे प्रयुक्त हां युक्त डीजल, क्लोरीन और मैग्नीशियम
 - व्यर्थ हां युक्त इंजन ऑयल और लुब्रीकेटिंग ऑयल

— ऑयल फिल्टर और कार केयर उत्पाद एवं उपभोग्य उत्पाद

(ग) पेंट उत्पाद

— इन्मेल

— तेल आधारित, लेटेक्स या जल आधारित पेंट

— पेंट सॉल्वेंट्स और थिनर्स

— तेल, चिपकने वाले पदार्थ और उनके खाली डिब्बे

(घ) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट: जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट परिव्यक्त और पुरानी दवाइयां और साइटोटॉक्सिक दवाइयां, तरल पदार्थ और गोलियां, इंजेक्शन, सूइयां, सिरिंज, छूरियां, ब्लेड्स और दोनों प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार उपकरणों सहित पंचर या घाव करने वाले धारदार उपकरण, थर्मामीटर और द्रव्य सहित मर्करी रक्त तथा शारीरिक द्रव्यों से संदूषित वस्तुएं यथा रूई, पट्टियां, दूषित प्लास्टर प्रक्षेप, अस्तर, चादर या रक्त से संदूषित अन्य सामग्री, ट्यूब्स, नाल-शलाकाएं आई0वी0 आदि सम्मिलित हैं;

(ङ) विविध उत्पाद:

— सौन्दर्य प्रशाधन सम्बन्धी उत्पाद

— बैटरी और बटन सेल्स

— फोटोग्राफिक ऑडियो/विडियो टेप और उनके रखने वाले डिब्बे और रासायनिक

— ट्वायलेट साफ करने के लिए प्रयुक्त एसिड

— कीटनाशक, शाकनाशक और चीटी, काकरोच और गच्छर मारने वाले रसायन और उनके खाली डिब्बे।

— रासायनिक खाद

— हल्के बल्ब, ट्यूबलाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प्स (सी0एफ0एल0)

— एयरोसोल के डिब्बे

— स्टायरोफोम और साफ्ट फोम पैकेजिंग

(9) "निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट" का तात्पर्य संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई क्रियाकलापों, सुदाईकरण या गंदे हटाये जाने संबंधी क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होने वाले अपशिष्ट से है। इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ संरचनाओं, का तात्पर्य सभी प्रकार के भवनों (दोनों आवासीय और गैर आवासीय), उपयोगिताओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मानव निर्मित किसी अन्य प्रकार की संरचना से है। निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट में ईट, कंक्रीट, मलबा, और अन्य चुनाई संबंधी सामग्रियों, मिट्टी, वृक्ष, किसी प्रकार की वनस्पति, चट्टान काष्ठ (जिसमें चित्रित, उपचारित जड़ित काष्ठ और काष्ठ उत्पाद सम्मिलित हैं), भू-सफाई अपशिष्ट भित्ति आवरण, प्लास्टर, शुष्क भित्ति प्लंबिंग के साज-समान, गैर-परिसंकटमय विद्युत्संयोजन, छतकरण, जलरोधी सामग्रियों और अन्य छत्तावरण, डामर, खड़जा, प्लास्टिक, कागज, जिप्सम बोर्ड, विद्युत् वायरिंग और संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त गैर परिसंकटमय सामग्रियों, पाइपों, स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य गैर परिसंकटमय धातुओं से अन्तर्विष्ट संघटक सम्मिलित हैं, किन्तु वे वही तक सीमित नहीं हैं:

परन्तु तथापि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अन्तरसीमा संचलन) नियम-2016 के अधीन यथा परिभाषित कोई परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथा परिभाषित ई-अपशिष्ट सम्मिलित है, भले ही वे संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई संबंधी क्रियाकलापों के फलस्वरूप हुये हों;

(10) "मृत पशुओं" में ऐरो पशुओं की काया और अस्थियां सम्मिलित होंगे जो प्राकृतिक रूप में मृत हो जाते हैं या जिनका आकस्मिक रूप में वध कर दिया जाता है। इसमें वधशालाओं, कसाईबाड़ों और मांस बाजारों आदि के शव और पशुअंग सम्मिलित नहीं हैं;

(11) "वधशाला/मांस/चिकन अपशिष्ट" में वधशालाओं, मांस, मत्स्य और चिकन स्टॉलों तथा बाजारों से जनित अपशिष्ट सम्मिलित है;

- (12) "ई-अपशिष्ट" का तात्पर्य उत्सर्जनकर्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप में उत्सर्जित और साथ ही साथ विनिर्माण, निर्माण और मरम्मत प्रक्रियाओं से कूड़ा-करकट के रूप में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण सम्बन्धी अपशिष्ट से है जो समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में यथा परिभाषित है;
- (13) "उद्यान अपशिष्ट" में सामान्य घरेलू उद्यानकरण सम्बन्धी क्रिया-कलापों के फलस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित है जिनमें घास की कटाई, पत्तियाँ पौधे, पुष्प और अन्य सामान्य प्रकार के लघु एवं हल्के जैविक चीजें सम्मिलित हैं किन्तु उनमें किसी भी लम्बाई के 40 एम0एम0 घने व्यास वाली वृक्ष शाखाओं वाले अपशिष्ट या उद्यान कृषि सम्बन्धी अपशिष्ट, थोक अपशिष्ट सन्निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट अथवा उद्यान सेवा से संबंधित क्रिया-कलापों के फलस्वरूप उत्सर्जित कोई अन्य अपशिष्ट सम्मिलित नहीं है;
- (14) "परिसंकटमय अपशिष्टों" में ऐसे कोई अपशिष्ट सम्मिलित है जिनसे अकेले या अन्य अपशिष्टों या द्रव्यों के सम्पर्क में आने पर उनकी अपनी भौतिक, रासायनिक, प्रतिकारात्मक विष जनित, ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षयकारी विशेषताओं में से किसी विशेषता के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिये खतरा उत्पन्न हो या उत्पन्न होना संभाव्य हो और इनमें परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 या उसके किसी संशोधन में परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट सम्मिलित है;
- (15) "घरेलू/आवासीय अपशिष्ट" में घरेलू क्रिया-कलापों के फलस्वरूप एकल और बहु परिवार वाली इकाइयों से उत्सर्जित अपशिष्ट अथवा घरेलू पारिवारिक क्रियाकलापों यथा खाना बनाना सफाई मरम्मत शिकरा, सजावट, रिक्त पात्र, पैकेजिंग, पहनावा पुस्ताक, लेख-पत्र, समाचार-पत्र उपस्कर, टेलीवीजन, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि उत्पादों से सम्बन्धित अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;
- (16) "औद्योगिक अपशिष्ट" में उद्योग के लिये अनोखे विशाल श्रेणों के पदार्थों से युक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं और औद्योगिक संक्रियाओं से निकली ठोस सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसमें लघु औद्योगिक संयंत्रों के ठोस अपशिष्ट और नगर पालिका भू-भराई केन्द्रों पर प्रायः निस्तारित किये जाने वाले संयंत्रों की राख भी सम्मिलित होंगे;
- (17) "अक्रिय अपशिष्ट" में ऐसा कोई ठोस अपशिष्ट अथवा अपशेष सम्मिलित है जिसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं उसे स्वच्छ भू-सफाई हेतु उपयुक्त बनाता है; सम्मिलित होगा;
- (18) "संस्थागत अपशिष्ट" में ऐसी संस्थाओं यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों सार्वजनिक पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और शोध संगठनों आदि से उद्भूत होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;
- (19) "तरल अपशिष्ट" में मल वहन तरल अपशिष्ट और गाढ़ा मल अपशिष्ट सम्मिलित होगा;
- (20) "नगर पालिका अपशिष्ट" में नगर पालिका प्राधिकरण के क्रियाकलापों और उसकी सेवाओं के फलस्वरूप होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित है और इनमें सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने वाले अपशिष्ट यथा पथ अपशिष्ट, मृत पशु तथा बाजार अपशिष्ट भी सम्मिलित है;
- (21) "जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव अनाशित सामग्री से निर्मित और सूक्ष्म जीवों या जैविकीय प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा युक्तियुक्त रागधावधि के भीतर या किसी प्रवर्तित विधि द्वारा यथा विहित अवधि के भीतर सरलतर रथायी योगिकों के रूप में क्षय न होने योग्य, लम्बी समयावधि तक पर्यावरण में रहने वाले कूड़ा या अपशिष्ट से है;
- (22) "प्लास्टिक अपशिष्ट" का तात्पर्य प्लास्टिक से निर्मित ऐसे किसी उत्पाद से है जिसे उपयोग करने के पश्चात् या जिसकी वांछित आयु समाप्त होने के पश्चात् परित्यक्त कर दिया गया हो अथवा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कवरा (विनियमन) अधिनियमन, 2000 में निहित किया गया हो,

- (23) "पूजा सामग्री" का तात्पर्य किसी जैव नाशित या जैव अनाशित सामग्री, मूर्ति या किसी संस्कृति या धर्म पूजा में प्रयुक्त सामग्रियों से है;
- (24) "पुनर्चक्रीय अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट सामग्री से है जो नैसर्गिक रूप में पुनर्चक्रीय हो जिससे निम्नलिखित अपशिष्ट सम्मिलित है किन्तु वे वही तक सम्मिलित नहीं हैं;
- (क) कागज उत्पाद-समाचार-पत्र, कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट, लेखा-पत्र लिफाफे, कार पार्क कूपन, विवरणिकायें, पम्पलेट, गैगजीन, पुस्तकें दफती और कागज पैकेज (यथा धान्य डिब्बे और पेय पेटिया) खाद्य कागज आवरण और अन्य कागज उत्पाद;
- (ख) धातु उत्पाद-धातु निर्मित डिब्बे या पात्र यथा मृदु पेय डिब्बे, दुग्ध पाउडर डिब्बे तथा खाद्यान्न डिब्बे;
- (ग) प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद-प्लास्टिक निर्मित बोतल या पात्र यथा प्रक्षालक पात्र, दुग्ध पात्र, मिनरल वाटर बोतलें, मृदु पेय बोतलें, जूस बोतलें, प्लास्टिक पैकेजिंग और अन्य प्लास्टिक उत्पाद किन्तु जिनमें स्टाइरोफोम, डिस्पोजेबल कटलरीज, क्राकरी और पोलिथीन कैरीबैग सम्मिलित नहीं है;
- (घ) कांच उत्पाद-जार बोतल, खिडकी कांच, चीनी मिट्टी के वर्तन, सेरामिक तथा मत्स्य टैंक, जिनमें लाइट बल्ब सम्मिलित नहीं है;
- (ङ) कपड़े, चर्म, रेक्सिन;
- (च) काष्ठ उत्पाद;
- (25) "अवशिष्ट अपशिष्ट" का तात्पर्य सामग्री प्रति प्राप्ति, ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण, उपचार या प्रसंस्करण सुविधा स्थलो, जो पुनर्चक्रण या अग्रतर प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त न हो किन्तु जो भू-भराई हेतु उपयुक्त हो, से उत्सर्जित अपशिष्ट तथा कूड़ा,-करकटों से है और वे उनमें सम्मिलित है;
- (26) "मल अपशिष्ट" में मल प्रक्षालन नैफकिन, तौलिया, फाहा, कन्डोम, डायपर्स तथा मलरोधी पैड/चादर संबंधी अपशिष्ट तथा अन्य समान अपशिष्ट सम्मिलित है;
- (27) "ठोस अपशिष्ट" का तात्पर्य मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक/ आवासीय संस्थागत अपशिष्ट, खानपान तथा बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, पथ सफाई संबंधी अपशिष्ट, भू-पृष्ठ स्थित नालियों से निकाले गये या संग्रहीत किये गये गाद, उद्यान अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट और औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को अपवर्जित करते हुए उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, अनुपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर जनित या लाये गये अपशिष्ट सहित ऐसे ठोस या अर्द्ध ठोस अपशिष्ट से है, जिसमें वे सम्मिलित है;
- (28) "पथ सफाई" में ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे जो पथों पगडण्डियों, वीथिकाओं, पार्को और रिक्त भू-भागों से संग्रहीत हों।

3 मा ८९
18/9/2021

अनुसूची-दो
प्रयोक्ता शुल्क

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)		
1	श्रेणी : आवासीय भवन यथास्थिति प्रति एकल परिवार/प्लैट/किरायेदार, हेतु बहुमंजिले भवनों का निर्मित क्षेत्रफल और एकल मंजिला का भू-क्षेत्रफल हेतु लागू टिप्पणी: यदि एक ही परिसर में एक से अधिक परिवार (उदाहरण स्वरूप किराएदार) निवास कर रहे हो तो पृथक अपशिष्ट उत्सर्जक होते हुए अतिरिक्त परिवार पर नियत धनराशि से अधिक शुल्क प्रभारित किया जायेगा। उसी प्रकार से एक से अधिक प्लैट वाले बहुमंजिले भवन/अपार्टमेन्ट हेतु प्रत्येक प्लैट स्वामी/किरायेदार पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा और परिवारों/प्लैटों/किरायेदारों की संख्या के आधार पर आगणित कुल धनराशि परिसर से संग्रहीत की जायेगी।	नगर पालिका परिषद
i	500 वर्ग फीट से कम	35 रूपये
ii	500 वर्ग फीट से 2000 वर्ग फीट तक	75 रूपये
iii	2000 वर्ग फीट से 2500 वर्ग फीट तक	100 रूपये
iv	2500 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	135 रूपये
v	5000 हजार वर्ग फीट से अधिक	200 रूपये
2क	श्रेणी : दुकाने (गैर वातानुकूलित दुकानों हेतु दुकान के आकार पर आधारित प्रयोक्ता शुल्क) टिप्पणी : यदि दुकान पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वातानुकूलित हो तो विहित शुल्क में 1.5 से गुणा किया जायेगा अर्थात् प्रयोक्ता शुल्क नीचे यथा विहित दरों से डेढ़ गुना उद्गृहीत किये जायेंगे।	नगर पालिका परिषद
i	100 वर्ग फीट तक	50 रूपये
ii	100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट तक	60 रूपये
iii	200 वर्ग फीट से 300 वर्ग फीट तक	100 रूपये
iv	301 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक	125 रूपये
v	500 वर्ग फीट से अधिक	125 रूपये + 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 5 रूपये, प्रति 10 वर्ग फीट के अंतर से अतिरिक्त शुल्क

उ. गा.प. 12/9/2021

4
5.2

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)		
2 ख	श्रेणी : सड़क के किनारे फेरीवाले / पथ विक्रेता / आदि (जिन्हें स्थायी रूप से निर्मित संरचना पर चलाया / संचालित न किया जा रहा हो)	नगर पालिका परिषद
i	ढेला / गुमटी / खोमचे / खाद्यान्न स्टाल / फेरी वाले / आदि	50 रुपये
ii	संचल खाद्यान्न वैन	150 रुपये
iii	साप्ताहिक या समय-समय पर लगाये जाने वाले बाजार में सड़क के किनारे फेरीवाले / पथ विक्रेता / खोमचे वाले / खाद्यान्न स्टाल / आदि (उदाहरण स्वरूप-साप्ताहिक बाजार)	10 रुपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है
3	श्रेणी : सरकारी विभाग (केन्द्र / राज्य) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / निगमों के स्वामित्वाधीन अतिथि गृह	नगर पालिका परिषद
i	4 कमरों तक	300 रुपये
ii	4 कमरों से अधिक	300 रुपये+ चार कमरों से अधिक होने पर 20 रूपया प्रति कमरा अतिरिक्त
4	श्रेणी : छात्रावास (किसी संस्थागत शैक्षणिक परिसर के अंदर नहीं), जिन्हे निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा हो उदाहरण स्वरूप कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, निजी छात्रावास आदि	नगर पालिका परिषद
i	10 बेड तक	300 रुपये
ii	10 बेड से अधिक	300 रुपये+ 30 रुपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए

18/9/2024

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)		
5 क	श्रेणी : गैर-वातानुकूलित वाणिज्यिक भोजनालाय/रेस्टोरेंट/ढाबा/ जलपान गृह/होटल/गिडार्ई की दुकानें आदि (अधिरात्रिविश्राम/लॉजिंग/यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था सुविधा के बिना केवल खाने की सुविधा हो) (प्रयोक्ता शुल्क बैठने की क्षमता के आधार पर होंगे) टिप्पणी- यदि परिसर पूर्णतः या आंशिक रूप से वातानुकूलित हो तो विहित प्रयोक्ता शुल्कों में 1.5 से गुणा किया जायेगा। उदाहरणार्थ यह नीचे यथा विहित दर से डेढ गुना अधिक उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा।	नगर पालिका परिषद
i	10 व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता	300 रूपये
ii	10 से 20 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था	500 रूपये
iii	20 से 50 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था	750 रूपये
iv	50 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता (ऐसे परिसर जिनका उपयोग सामूहिक आयोजनों/वैक्वेट बुकिंग के लिए उपयोग किया जाता हो)	1500 रूपये
5 ख	श्रेणी : अतिथियों के अर्धरात्रि विश्राम हेतु कक्ष सुविधा सहित छात्रावास। होटलों में प्रदत्त रेस्टोरेंट/भोजन सुविधा द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट और अतिथियों के निवास/वास के कारण उत्सर्जित अपशिष्ट को पृथक-पृथक जोड़कर प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत और आगणित किये जायेंगे। मासिक शुल्क के अनुसार दोनों की गणना की जायेगी और उन्हें जोड़ा जायेगा। इस प्रकार उक्त गणना निम्नानुसार की जायेगी:- (1) होटल द्वारा अपने परिसर के भीतर 5 क के अनुसार प्रदत्त रेस्टोरेंट/भोजन सुविधा हेतु विहित प्रयोक्त शुल्कों की गणना की जायेगी और इसे नीचे 5 ख के रूप में विहित प्रयोक्ता शुल्कों में जोड़ दिया जायेगा।	नगर पालिका परिषद
i	10 कमरों तक	1500 रूपये
ii	10 कमरों से 20 कमरों तक	2500 रूपये
iii	20 से अधिक कमरे	2500 रूपय+ 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए कमरे के लिए 100 रूपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क

12/9/2021

5.2

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)		
6	श्रेणी : वाणिज्यिक कार्यालय, बैंक, वीमा कार्यालय आदि (निर्मित क्षेत्रफल पर आधारित) टिप्पणी : यह प्रयोक्ता शुल्क भवन में संचालित एकल कार्यालय के लिए है और यदि उसी भवन में कई कार्यालय संचालित हो रहे हों तो प्रत्येक कार्यालय शुल्क कार्यालय द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्रफल पर आधारित होगा।	नगर पालिका परिषद
i	1000 वर्ग फीट तक	200 रूपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम	350 रूपये
iii	भवन परिसर के भीतर किसी कैंटीन सुविधा के बिना 2500 वर्ग फीट से अधिक	350 रूपये+ 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
iv	भवन परिसर के भीतर कैंटीन सुविधा सहित 2500 वर्ग फीट से अधिक	350 रूपये+ 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर 5 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
7	श्रेणी :सरकारी विभागों /स्थानीय निकाय/के स्वामित्व वाले कार्यालय (उदाहरण स्वरूप ऐसे विभाग/कार्यालय, जो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः अथवा अंशिक रूप से वित्तपोषित हैं) जिनके द्वारा नागरिकों को गैर वाणिज्यिक आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।	नगर पालिका परिषद
i	1000 वर्ग फीट तक	150 रूपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम	250 रूपये
iii	भवन परिसर के भीतर किसी कैंटीन सुविधा के बिना 2500 वर्ग फीट से अधिक	250 रूपये+ 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
iv	भवन परिसर के भीतर किसी कैंटीन सुविधा सहित 2500 वर्ग फीट से अधिक	350 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
8क	श्रेणी: गैर- आवासीय शैक्षणिक संस्थाएँ (प्ले स्कूल/कोचिंग क्लास, स्कूल और कॉलेज) सरकारी या गैर-सरकारी दोनों तरह के संस्था टिप्पणी-यदि शैक्षिक अपने परिसर के भीतर कैंटीन चला रही हो तो विहित प्रयोक्ता शुल्क में गुणक धनराशि 1.5 से गुणा (डेढ़ गुणा) किया जायेगा। विहित प्रयोक्ता शुल्क उन संस्थाओं के लिए है जहाँ विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित होते हों और यदि स्कूल/संस्थान अपने परिसर में छात्रावास संचालित करते हो तो छात्रावास के कारण उत्सर्जित अपशिष्ट के लिए अतिरिक्त प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत किया	नगर पालिका परिषद

	के कारण उत्सर्जित अपशिष्ट के लिए अतिरिक्त प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत किया जायेगा, जो 8ख में उल्लिखित है।	
i	100 विद्यार्थियों तक	300 रुपये
ii	100 से अधिक और 500 विद्यार्थियों तक	500 रुपये
iii	500 से अधिक और 1000 विद्यार्थियों तक	1000 रुपये
iv	1000 विद्यार्थियों से अधिक	1000 रुपये+ एक हजार विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 100 रुपये की दर से अतिरिक्त
8 ख	किन्ही शैक्षिक संस्थाओं के या किसी शैक्षिक संस्था के स्वामित्वाधीन परिसर के भीतर वहाँ के छात्रों के लिए आवासिय छात्रावास (विहित शुल्क 8 क में उद्ग्रहीत प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त है)	नगर पालिका परिषद
i	छात्रावास में 100 छात्रों तक	750 रुपये
ii	100 से अधिक और 300 छात्रों तक	1000 रुपये
iii	300 से अधिक और 500 छात्रों तक	1500 रुपये
iv	500 छात्रों से अधिक	1500 रुपये+ पांच सौ छात्रों से अधिक होने पर, 100 रुपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त
9 क	श्रेणी : स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (क्लीनिक, डिस्पेंसरी, प्रयोगशालाएं, निदान केंद्र/पैथोलॉजिकल, सेंटर्स/आदि) टिप्पणी: विहित प्रयोक्ता शुल्क केवल दोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए होंगे अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट को छोड़कर, जिसका निस्तारण एच0सी0एफ0 द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार स्वयं के व्यय' पर किया जायेगा।	नगर पालिका परिषद
i	500 से कम वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंत:रोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	350 रुपये
ii	500 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंत:रोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	500 रुपये
iii	2000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंत: रोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1000 रुपये
9 ख	सरकार द्वारा अथवा जिला/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा संचालित समितियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त और संचालित शैय्या वाले स्वास्थ्य देख-भाल प्रतिष्ठान अर्थात् अंत: रोगी सुविधा वाले राजकीय चिकित्सालय)	नगर पालिका परिषद
i	10 बेड से कम	1000 रुपये
ii	10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम	1500 रुपये
iii	30 बेड और उससे अधिक	30 बेड तक 1500 रुपये+ 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 75

		रुपये की दर से अतिरिक्त
9 ग	निजी व्यक्ति/कम्पनी/या अन्य द्वारा स्वामित्व प्राप्त और संचालित शैथ्या वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान, जिनके पास सरकारी स्वामित्व से भिन्न स्वामित्व हो (निजी नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालय)	
i	10 बेड से कम	1200 रुपये
ii	10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम	2000 रुपये
iii	30 बेड और उससे अधिक	30 बेड तक 2000 रुपये+ 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 150 रुपये की दर से अतिरिक्त
10	श्रेणी : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस. एम.ई) (अधिकृत क्षेत्र) (प्रयोक्ता शुल्क केवल गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धक हेतु है और किसी परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण, इकाई द्वारा अलग से अपने व्यय पर किया जायेगा)	नगर पालिका परिषद
i	1000 वर्ग फीट तक	350 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये+ 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त
11	गोदाम, भांडागार शीत गृह (क्षेत्र) टिप्पणी : प्रयोक्ता शुल्क केवल गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु है।	नगर पालिका परिषद
i	1000 वर्ग फीट तक	350 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त
12	मैरिज हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला हॉल, खुला स्थान (जिसमें समारोहों/एक बार के समारोह, जिसमें भोजन सहित अतिथि सम्मिलित है, के लिए अस्थायी टेंट/मानक व्यवस्था/सम्मिलित) इन्ही सुविधाओं वाले होटल इसमें सम्मिलित नहीं है। टिप्पणी : यहां विहित प्रयोक्ता शुल्क प्रतिदिन के लिये है और शुल्क की गणना, समारोह की मेजबानी करने वाले स्वामी के भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर की जायेगी। नगरीय स्थानीय निकाय को समारोह बुकिंग करने के दिनांक/उसकी संख्या के सम्बन्ध में सूचित करना स्वामी का कर्तव्य होगा।	नगर पालिका परिषद
i	300 वर्ग मीटर तक (यह आयोजन के प्रत्येक दिवस के अनुसार नियत होगा और तदनुसार शुल्क ग्रहण किया जायेगा)	750 रुपये प्रतिदिन
ii	300 वर्ग मीटर से अधिक	750 रुपये + 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 2000)

13	श्रेणी : पेट्रोल पंप	नगर पालिका परिषद
i	पेट्रोल पंप, जिसके परिसर में किसी अन्य उपयोगिता की दुकान न हो (अर्थात् किराना दुकान/सर्विस स्टेशन)	400 रूपये
ii	पेट्रोल पंप, जिसके परिसर में किसी अन्य उपयोगिता की दुकान हो (अर्थात् किराना दुकान/सर्विस स्टेशन)	500 रूपये
14	श्रेणी : नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर प्रयोक्ता शुल्क, क्षेत्रफल और सुविधा के प्रकार (वातानुकूलित/गैर-वातानुकूलित) के आधार पर उद्ग्रहीत किये जायेंगे।	नगर पालिका परिषद
i	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर। सुविधा का प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से कम	500 रूपये
ii	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर। सुविधा का प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से अधिक 2000 वर्ग फीट से कम	750 रूपये
iii	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर। सुविधा का प्रकार-वातानुकूलित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से अधिक	1000 रूपये
iv	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार गैर वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से कम	150 रूपये
v	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार-वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से अधिक और 2000 वर्ग फीट से कम	250 रूपये
vi	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार-गैर वातानुकूलित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से अधिक	300 रूपये
15	श्रेणी : प्रिंटिंग प्रेस (गैर- परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोक्ता शुल्क)	नगर पालिका परिषद
i	500 वर्ग फीट तक	200 रूपये
ii	500 वर्ग फीट से अधिक	200 रूपये+ 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
16	मोटर यान धुलाई/सर्विस सेंटर (गैराज/फेब्रीकेशन दुकान/सर्विस सेंटर) इसमें छोटी मरम्मत की दुकानें सम्मिलित नहीं हैं, उन पर इस अनुसूची की क्रम संख्या 2 में उल्लिखित प्रतिमानों के अनुसार प्रति वाणिज्यिक दुकानों के मानकों के हिसाब से शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत किये जायेंगे।	नगर पालिका परिषद
i	1000 वर्ग फीट तक	350 रूपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट तक	500 रूपये
iii	2000 वर्ग फीट से अधिक	500 रूपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 10 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त

	अन्य श्रेणियां : (क्रियाकलापों के प्रकार पर आधारित)	नगर पालिका परिषद
17	मांसा की दुकान/मछली की दुकान/चिकन (मुर्गे के मांसा) या कोई अन्य ऐसी दुकान जहां पर कच्चा/बिना पकाया हुआ मांस फुटकर में विक्रय होता हो (बधशालाओं को छोड़कर)	300 रूपये
18	वाइन की दुकानों (बियर की दुकान सम्मिलित है)	500 रूपये
19	मॉडल मदिरा शॉप	1000 रूपये
20क	श्रेणी : मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग माल्स (प्रतिदिन 5 टन अपशिष्ट उत्सर्जन हेतु)	15000 रूपये
20ख	प्रतिदिन 5 टन अपशिष्ट उत्सर्जन से अधिक उत्सर्जित मल्टीप्लेक्स वाले शापिंग माल्स	15000 रूपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) + प्रतिदिन 5 टन से अधिक उत्पन्न होने पर, 3000 रूपये प्रतिमाह प्रति टन
21	सिनेमा हॉल (मॉल में स्थित मल्टीप्लेक्स से भिन्न) सिनेमा हॉल की कुल सीटों की संख्या में विहित शुल्क से गुणा कर बैठने वाली सीट की क्षमता के आधार पर मासिक प्रयोक्ता शुल्क की गणना की जायेगी।	5 रूपये
22	भंडारा/लंगर (एक दिन होने पर)	125 रूपये
23	अन्य, जो उपरोक्त में उल्लिखित नहीं है।	नगरीय स्थानीय निकाय के आंकलन के अनुसार

नोट:- आकस्मिक स्थिति में अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी द्वारा स्वविवेक से निर्धारण।
उपरोक्त निर्धारित दरों में प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो वित्तीय वर्ष से लागू होगी।



- 1- प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-5 के पत्र संख्या-3197 /नौ-5-2013-381 सा/2008 दिनांक 08 अगस्त 2013 द्वारा स्थानीय निकायों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण के लिए निकायों द्वारा अधिसूचित/निर्धारित दरों के आधार पर यूजर चार्ज को संग्रहित किये जाने का दायित्व निजी आपरेटर को दिया गया है परन्तु यूजर चार्ज की वसूली में आपरेटरों को व्यावहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तदक्रम शासन द्वारा लिए गए निम्नवत निर्णय इस प्रकार है जिस अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
 - (a)-अधिसूचित दरों के आधार पर कम से कम प्रथम तीन वर्ष तक नगर पालिका द्वारा ही यूजर चार्ज को संग्रहित किये जाने का बिल निर्गत किया जायेगा।
 - (b)-निर्गत किये गये बिल के अनुसार वसूली की कार्यवाही निजी ऑपरेटर द्वारा की जायेगी तथा वसूली की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा निजी ऑपरेटर को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
 - (c)-यूजर चार्ज न देने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध नगर पालिका द्वारा तत्सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अनुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 2- Safai karmi of urban local body (Nagar Palika Parishad Jaunpur) or its Autorised agency for door to door garbage collection प्रतिदिन (अवकाश अवधि को छोड़कर) आवंटित क्षेत्र की प्रातः 07.00 बजे से 11.00 बजे तक घर-घर तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से सुबह 09.00 से 12.00 बजे तक कूड़ा संग्रह का कार्य करेगा। इस अवधि में आवश्यकतानुसार/समयानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3- कूड़ा संग्रहकर्ता द्वारा उपभोक्ता को सूचित करने हेतु सीटी बजाना/हार्न/घंटी बजाना/उद्घोषणा द्वारा उपभोक्ता को सूचित करना जिससे उपभोक्ता को पता चल जायेगा कि कूड़ा संग्रहकर्ता उपस्थित हो गया है। जनता का दायित्व होगा कि वो तत्काल उसी समय उसकी घर का कूड़ा उपलब्ध करायेगा।

उत्पादक
18/3/2024
SK/H.C.

H
S.L.

अनुसूची तीन
अपराध/उल्लंघन शास्ति/स्थलीय जुर्माना शुल्क

विनिर्दिष्ट अपराध	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
कूड़ा फैलाने/उपताप करने/स्वच्छ आंगन उपताप करने के प्रत्येक दृष्टांत/कृत्य हेतु शास्ति/स्थलीय जुर्माना निम्नलिखित रूप से उद्ग्रहीत किया जायेगा:-	
1 अपशिष्ट क्षेपित करना, निक्षेपित करना, उन्मोचित करना, उसे फैलाना या बेकार छोड़ना अथवा ऐसे अपशिष्ट को क्षेपित, उन्मोचित, बिखेरित या मोचित कराना या कराने की अनुज्ञा देना, चाहे उक्त अपशिष्ट किसी पात्र या आधान में, किसी पात्र के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में या पर या ऐसे संस्था, जो इस प्रयोजनार्थ, विनिर्दिष्ट रूप से संसूचित उपबंधित या पृथक रखा गया हो; पर हो या न हो। इस नियमावली के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु वे वहीं तक सीमित नहीं है:-	
क कोई अध्यासित खुली या रिक्त भूमि, खेल का मैदान या उद्यान	300 रूपये
ख किसी जल स्रोत के किनारे पर या फिर जल संग्रहण स्थल क्षेत्र में तथा नदी, जल मार्ग, सीवर, इंझा जल नाले	400 रूपये


 18/9/2021


विनिर्दिष्ट अपराध	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
(इसमें पूजा सामग्री को प्रवाहित करना, फेंकना, सम्मिलित है।)	
ग सार्वजनिक पथ या निजी पथ अथवा किसी ऐसे खाली मैदान पर जो किसी पथ, सड़क फूटपाथ, सड़क डिवाइडर इत्यादि के पास हो	300 रूपये
घ शैक्षणिक संस्थायें, चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी संस्थायें, धार्मिक स्थल, विरासतीय इमारतें	400 रूपये
2 जान-बूझकर अपने परिसर/संपत्ति में किसी भी अपशिष्ट, मलबे, गंदगी आदि को इस प्रकार रखना, जमा करना अथवा, रखने/जमा करने की अनुज्ञा देना जिससे वह 24 घंटे से अधिक समय तक उक्त परिसर में संग्रह रहे।	300 रूपये
3 नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर यान चलाते समय या फिर खड़े यान से या फिर किसी यान से यात्रा करते समय किसी सार्वजनिक या निजी सड़क या किसी सार्वजनिक या निजी परिसर में अपशिष्ट फेंकना/डालना। किसी ऐसे यान का कोई चालक ऐसे यान में किसी भी यात्री को थूकने या फिर इस तरह से अपशिष्ट फेंकने या जमा करने नहीं देगा।	500 रूपये

उम्माएव
12/9/2021

41
S.I

विनिर्दिष्ट अपराध		नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
4	क प्रतिबधित प्लास्टिक थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण, भंडारण और बिक्री में लिप्त होना जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बधित/प्रतिबंधित है।	वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूड़ा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ) दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्ति/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार।
	ख प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बधित/प्रतिबंधित है।	
5	थूकना, पेशाब करना, मल त्यागना, जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार छोड़ना जमा करना जिससे कूड़ा-कचरा का बिखराव हो।	100 रुपये
6	किसी प्रकार के अपशिष्ट का दहन करना/ उसे मिट्टी के अन्दर दबाना या फिर उसका दहन करने/मिट्टी के अन्दर दबाने का प्रयास करना या दहन करने या मिट्टी के अन्दर दबाने के माध्यम से	1200 रुपये

उका.द.य
10/7/2021

5/2

	विनिर्दिष्ट अपराध	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	किसी मार्ग के किनारे, एकत्र स्थलों या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण करना। यह प्रतिषेध समस्त प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होगा, जिनमें सफाई कर्मचारी या नगरीय स्थानीय निकाय के अन्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अपशिष्ट उत्पापक या सड़क, पथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छता कार्य में संलग्न कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है।	
7	बिना ढंके (अनकवर्ड) हुए किसी ट्रक या अन्य ऐसे यान को चलाना या स्थान-परिवर्तन करना जो अपशिष्ट/कूड़ा से भरा हो	1200 रुपये
8	अपने पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग करने देकर सड़को/पार्को/सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा करना। टिप्पणी: किसी भल त्याग किये जाने की स्थिति में स्वामी को पालतू जानवरों के सड़कों पर मल त्याग को अपने घर को ले जायेगा। ताकि इसका निस्तारण मल वहन के माध्यम से बहाकर किया जा सके अन्यथा शारित उद्ग्रहीत किया जायेगा।	200 रुपये
9	निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट या किसी प्रकार के अपशिष्ट को झंझा-जल नालियों, सड़क के फुटपाथ, सारकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित खुले मैदानों और/या सार्वजनिक	1500 रुपये

उत्तर प्रदेश
18/9/2021

	विनिर्दिष्ट अपराध	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	भागों के किनारे जमा करना या फैलाना	
अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा पृथक्करण, परिदान और संग्रहण किये जाने संबंधी उपबंध		
10	अपृथक्कृत और पृथक डिब्बे में न रखे गये शृष्क, आर्द्र और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये प्रति माह विहित प्रयोक्ता शुल्क के अतिरिक्त शारितिक धनराशि प्रति माह प्रभारित की जायेगी)	100 रूपये प्रतिमाह
11	निर्माण और ध्वस्तीकरण थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपृथक्कृत निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु)	750 रूपये
12	अपृथक्कृत उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छाल और कतरनों का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु)	75रूपये
13	अपृथक्कृत मत्स्य, कुक्कुट, और मांस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति माह शारितिक धनराशि प्रभारित की जायेगी।	300 रूपये प्रतिमाह
14	किसी थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा अपृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण तथा परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति माह शारितिक धनराशि प्रभारित की जायेगी।	500 रूपये प्रतिमाह
15	नगरीय स्थानीय निकाय में रजिस्ट्रीकरण और वहाँ से प्रधिकार के बिना अपशिष्ट संग्रहण किया जाना।	300 रूपये प्रति अपराध पर

नालों/मल नालियों/सोक पिट से सम्बन्धित उपबंध		
16	निजी नालियों/सीवर लाइनों से घरेलू मल/मल जल/बहिस्त्राव को किसी झंझा-जल नालियों, मार्गों, खुले मैदान, जल स्रोतों, जलमार्गों, कृषि भूमि, अथवा अन्य किन्हीं गैर अभिहित अवस्थानों पर प्रवाहित किया जाना या प्रवाहित किये जाने देना।	200 रुपये
17	किसी ऐसे सामग्री को नाली के प्रवाह में आने दिया जाना जिससे नाली को क्षति पहुंचने की आशंका हो या फिर सार्वजनिक सीवर लाइन में उसके प्रवाह को बाधित किया जाना	200 रुपये
18	खुले नाली और/या मैनहोलों में किसी ऐसी सामग्री को जमा किया जाना या जमा किये जाने देना जिसके कारण सीवर लाइनों में बाधा/जमा होने की स्थिति बने। यह उपबंध नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए लागू है जो खुले नालों में मार्गों की सफाई से निकला कूड़ा करकट, सेप्टिक टैंक से निकली गाद, अपशिष्ट उत्सर्जक के निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट आदि को जमा करते हैं।	500 रुपये
19	औद्योगिक बहिस्त्राव अथवा विशेष रूप से किसी उद्योग, कुटीर (घरेलू) उद्योग, वधशालाओं और मांस बाजार, दुग्धशाला और पशुपालन स्थल, कर्मशाला या गैराज के क्रियाकलापों की वजह से उत्सर्जित औद्योगिक बहिस्त्रावों का आवश्यक विहित उपचार किये बिना उन्हें सार्वजनिक मल नालों में बहाना या बहाने देना	3000 रुपये

18/5/2021

20	किसी कर्मचारी / ठेकेदार / अभिकर्ता द्वारा समुचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना किसी व्यक्ति को सेप्टेज, गंदे नाले, और मलकुंड में हाथ से कार्य करने देना	3000 रुपये
21	अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाले परिसर में जल जमाव / अपशिष्ट क्षेपण / अस्वास्थ्यकर स्थितियों / अस्वच्छ स्थितियों / दरार आदि न होने देना, जिससे रोगवाहक विषाणु प्रजनित हो सकें अथवा उनके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हों	3000 रुपये
	अन्य विनिर्दिष्ट अपराध	
22	विक्रय स्थल पर किसी विक्रेता / फेरीवाले द्वारा अपृथक्कृत जैव नाशित और अन्य अपशिष्ट रखा जाना	15 रुपये प्रतिदिन
	अन्य विनिर्दिष्ट अपराध	
23	यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जक कोई ऐसा आयोजन या जमाबड़ा करता है जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं और आयोजन समाप्त होने के 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोजन स्थल को गंदा या अस्वच्छ रखता है।	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी
24	यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति, परिवार, आवासीय सोसाइटियां / कालोनियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जक, जो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं।	500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत

उत्तर प्रदेश
18/9/2021

5-2

25	यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के अंचल और सीमांत ग्राम/ग्राम पंचायतें नगरीय सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं।	500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत
26	यानों, ढक्कनों, डिब्बो, हाथ-गाड़ी, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा और जो नगरीय स्थानीय निकाय अथवा इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण द्वारा उपबंधित उपकरण सहित किसी अवसंरचना को बिना अनुज्ञा के क्षतिग्रस्त करना या उन्हें हटाना	1000 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करनु/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत
27	नदियों/जलाशयों/नालों/जल ग्रहण क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण	1000 रुपये
28	यदि भंडारा या लंगर आयोजित करने वाला/वाले कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बे उपलब्ध नहीं कराते हैं।	1200 रुपये

उपादन
18/9/2024

H
5-5

नोट:- शास्ति-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद, जौनपुर निर्देश देती है कि इस ~~निम्न~~/दर का अतिलंघन करने पर उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड का भागी होगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रतिदिन व्यतिक्रम के लिए समान धनराशि का शुल्क अथवा प्रतिदिन रू0-100=00 जो भी अधिक हो, मूल जुर्माने के अतिरिक्त उद्ग्रहीत किया जायेगा।

- 1- उपरोक्त चार्ज/प्रशमन/समझौता शुल्क/के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार नगर पालिका परिषद जौनपुर में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।
- 2- शास्ति या प्रयोक्ता शुल्क/फीस, यदि इस नियमावली के अधीन या उपबंधित रूप से स्थल पर या मासिक आधार पर संग्रहित न की गयी हो, परिवार/अधिष्ठान के सम्पत्ति कर देयक में जोड़ी जायेगी।
- 3- नगर पालिका परिषद, जौनपुर ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन संचालन एवं स्वच्छता) विनियमन ~~निम्न~~-2020 में उल्लिखित शुल्क/जुर्माना/अर्थदण्ड सम्बन्धित द्वारा पालिका को मौके पर/समय से अदा न करने की स्थिति में उसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थान से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन अनियोजित करने के लिए दायी होगा/होगी।

निरसन

यह ~~निम्न~~ प्रभावी होने कि तिथि से इस विषय में सम्बन्धित पूर्व प्रचलित उपविधि निरस्त हो जायेगी।

हरिश्चन्द्र यादव
18/9/2021

H
S.D.

हरिश्चन्द्र यादव
सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

द

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

सायबुल
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
जौनपुर